कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/1441 2/1748 दिनांक:– 28/05/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, बांका के वर्ष 2011–12 से 12–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 463/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत बांका

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. 463/13–14
अवधि– 2011– 12 तथा 2012– 13

1. **प्रस्तावना :–**

नगर पंचायत, बांका के वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लेखाओं की नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार(अंकेक्षण) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 10.05.2013 से 18.05.2013 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन :–**

क.	**अध्यक्ष का नाम**	**कार्यकाल**
1.	श्रीमति इंदु देवी	01.04.2011 से 31.03.2013 तक
ख.	**उपाध्यक्ष का नाम**	**कार्यकाल**
1.	श्री अनिल कुमार सिंह	01.04.2011 से 31.03.2013 तक
ग.	**कार्यपालक पदाधिकारी का नाम**	**कार्यकाल**
1.	श्री विमल कुमार घोष, अंचल अधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बांका	01.04.2011 से 06.11.2012 तक
2.	श्री आलोक कुमार (बि॰प्र॰से॰) कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, बांका	06.11.2012 से 31.03.2013 तक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**

लेखापरीक्षा में नमूना जॉच किये गये पंजियों तथा अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन की परिशिष्ट सं. 1(क) में दर्शाया गया है, जिन अभिलेखों एवम् पंजियों को लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया था अथवा अधूरा संधारित था, को परिशिष्ट सं. 1(ख) में दर्शाया गया है।

4. **पूर्ववत्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :–**

पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं की स्थिति निम्नलिखित है–

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	अंकेक्षण वर्ष	लिखित कंडिकाओं की सं.
1	6/97–98	1992–93 से 1995–96	12
2	72/01–02	1996–97 से 2000–01	39
3	05/08–09	2001–02 से 2006–07	41
4	664/09–10	2007–08 से 2008–09	32
5	688/11–12	2009–10 से 2010–11	37
			कुल– 161

कुल 161 लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षा बिहार, पटना को भेजा जाय। अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है। उक्त आपत्ति पर कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि "पूर्ववर्त्ती लंबित कंडिकाओं का अनुपालन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।"

5. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा के बारे में उल्लेख है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928 नियम 20, 64 एवं 73 क में यह उपबन्धित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया गया हो, इस तरह की जॉच व्यवस्था उचित नियंत्रण अभिलेखों के संधारण अथवा सम्भावित वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने हेतू की जाती है।

नगर पंचायत के अभिलेखों के जॉच के क्रम में पाया गया कि उक्त जॉच की व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितताएँ पाई गयी। जिनका उल्लेख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नियमों व उपबन्धों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी भी सम्भावित अनियमितता से बचा जा सके व अभिलेखों/पंजियों का उचित ढंग से संधारण हो सके।

6. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियॉ

क्र.सं.	विवरणी	राशि	कंडिका सं०
1	जमा नहीं	रू० 16 लाख	13
2	दूरदर्शन केन्द्र भवन का वसूलनीय भवन किराया	रू० 1.28 लाख	16
3	बन्दोवस्ती की राशि जमा नहीं	रू० 1.20 लाख	18
4	सरकारी भवनों के मकान कर की बकाया राशि	रू० 6.19 लाख	20
5	संचार मोबाइल टाबरों का अपंजीकृत रहना एवं शुल्क बकाया	रू० 7.68 लाख	21
6	योजनाओं की राशि का विचलन पर अनियमित व्यय	रू० 47.02 लाख	22(ii)
7	कार्य नियत समय पर पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संवेदक से वसूली नहीं	रू० 6.89 लाख	23
8	अनियमित व्यय	रू० 4.99 लाख	25(ii)

7. **स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल**

नगर पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृत बल का पत्रांक अप्राप्त था। नगर पंचायत, बॉका द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कुल 26 स्वीकृत पद पर कार्यरत बलों की कुल संख्या 10 था एवं कुल रिक्त पदों की संख्या 16 थी।

(विवरणी परिशिष्ट II में संलग्न)

उपर्युक्त 16 रिक्त पदों को भरने में दिशा में नगर पंचायत द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में बताया गया कि बहाली की दिशा में समुचित कदम उठाया जाता रहा है। नगर पंचायत का जबाव संतोषप्रद नहीं है।

अतः रिक्त पदों को भरने की दिशा में ठोस प्रयास किया जाय ताकि कार्यालय का काम – काज सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

8. **वित्तीय अधिदृश्य**

वर्ष – 2011–12 तथा 2012–13 कुल प्राप्तियां तथा व्यय का सार इस प्रकार है।

(i) सामान्य रोकड़ बही

	2011–12	2012–13
प्रारम्भिक शेष	18533539.80	26431742.80
प्राप्तियॉ	35787218	46240009
कुल	54320757.80	72671751.80
व्यय	27889015	20407792
अंतशेष	26431742.80	52263959.80

मासिक/वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण प्राप्तियॉ/व्यय शीर्ष वार वर्गीकरण नहीं किया जा सका।

(ii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

	2011–12	2012–13
प्रारम्भिक शेष	4545258	7074000
प्राप्तियॉ	5166014	———
कुल	9711272	7074000
व्यय	2637272	3972505
अंतशेष	7074000	3101495

157

(iii) द्वादश/तेरहवीं वित्त आयोग

	2011–12	2012–13
प्रारम्भिक शेष	410639	1853980
प्राप्तियाँ	9187554	1634650
कुल	9598193	3488630
व्यय	7744213	3109673
अंतशेष	1853980	378957

9. अंतशेष

नगर पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों का दिनांक 31.3.13 का अंतशेष निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	बैंक का नाम/ खाता सं.	31.3.13 का राशि (अंतशेष)
1	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बॉका 18.6.12 A/C No. 1170 816 721	235690.46
2	यूको बैंक बांका, 30.3.13 A/C No. 17990100077264	3457955.00
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बॉका 19.10.12 A/C No. 4315/29	49848.00
4.	यूको बैंक, बॉका 26.3.13 A/C No. 17990100000948	5110397.99
5.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंण्डिया, बॉका 12.1.13 A/C No. 163501000 5227	205232.00
6.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंण्डिया, बॉका 3.12.11 A/C No. 163501 10012254	1059.00
7.	को ऑपरेटिव बैंक, भागलपुर 31.3.11 A/C No. 513037	6293.00
8.	भारतीय स्टेट बैंक, बांका, 29.3.13	378857.00

कोषागार खाता अद्यतन नहीं होने के कारण 31.3.13 को कोषागार खाता की अवशेष राशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

अतः कोषागार पासबुक का अद्यतन कराकर तथा अन्य सभी रोकड़ बहियों तथा बैंक पासबुकों का 31.03.2013 को अंतशेषों के अंतरों का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. कोषागार खाता अद्यतन नहीं

कोषागार खाता का संधारण माह अक्टुबर 2001 तक किया गया था एवं जमा तथा निकासी की प्रविष्टि अद्यतन नहीं की गयी थी। नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत कोषागार से राशि निकासी संचिका के नमूना अवलोकन में जमा एवं निकासी की स्थिति की निम्नलिखित थी।

क्र.सं.	शीर्ष	2011–12	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	8084604.44	10226071.44
2	जमा	16727226.00	35524758.00
3	कुल	24811830.44	45750829.44
4	निकासी	14585759.00	शून्य
5	अंतशेष	10226071.44	45750829.44

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) जमा एवं निकासी चेक पंजी के अनुसार 1.4.2012 को प्रारंभिक शेष रू० 1,13,88,470.44 था। कोषागार राशि निकासी संचिका के अनुसार 31.3.2012 को अंतशेष रू० 10226071.44 था। दोनों में रू० 1162399.00 था। उक्त अंतरों का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया इसे अगले अंकेक्षण दल को स्पष्ट किया जाय।

(ii) जमा एवं निकासी पंजी के अनुसार 1.4.2013 को प्रारंभिक शेष रू० 44247860.44 था जबकि कोषागार निकासी संचिका के अनुसार 31.03.13 को अंतशेष रू० 45750829.44 था। उक्त अंतरों का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

(iii) 31.3.2013 को पी०एल० खाता सहायक रोकड़ पंजी का अंतशेष रू० 44447779.04 था। जिसका समाधान विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा जबाव में बताया गया कि कोषागार खाता को अद्यतन कराकर अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा।

कोषागार खाता बही को अद्यतन कराकर एवं अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाय।

11. बजट प्राक्कलन

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा– 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी अगले वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करेगे तथा धारा – 84 के तहत 15 मार्च तक बोर्ड द्वारा पारित कर सरकार के पास भेज दिया जाना है। परन्तु बजट प्राक्कलन संचिका के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का जबाब था कि " अनुमानित बजट प्राक्कलन नियमानुसार बनाया गया है। वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है जिसे अगले लेखा परीक्षा में तैयार कर लिया जायेगा "। उक्त अनुमानित

155

बजट प्राक्कलन को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

12. सरकारी अनुदान

आवंटन पंजी सहायक रोकड़ बही (विभिन्न खातों के लिए) के जॉच से ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अनुदान नगर पंचायत को प्राप्त हुआ–

क्र.सं.	तिथि	राशि	विवरण
1.	30.5.2012	6583920.00	सहायक निबन्धन मय निरीक्षक बिहार, पटना ज्ञाप सं. 314 दिनांक 4.2.2011 एवं वरीय लेखा अधिकारी बिहार पटना के प्राधिकार पत्र सं॰ टी॰ए॰ 17 प्रा॰ 485 दिनांक 25.02. 2011 (अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क)
2	31.3.2012	15,00,000.00	सरकार के विशेष सचिव न॰ वि॰ एवं आ॰ वि॰ बिहार पटना के ज्ञापांक 21 दिनांक 4.8. 2011 व प्राप्त रकम (13वी वित्त आयोग विपत्र सं॰ 2/2011–12)
3	31.3.2012	1,50,000.00	तथैव ज्ञापांक 24 दिनांक 23.8.2011 से प्राप्त रकम (13वी वित्त आयोग विपत्र सं॰ 3/2011–12)
4.	31.3.2012	81,600.00	संयुक्त सचिव न॰वि॰आ॰वि॰, बिहार पटना के ज्ञापांक 44 दिनांक 25.1.2012 को प्राप्त रकम (निर्वाचित प्रतिनिधि विपत्र सं॰ 4/11–12)
5	31.3.2012	16,80,000.00	तथैव – ज्ञापांक 58 दिनांक 13.3.2012 (13वी वित्तआयोग विपत्र सं॰ 6/2011–12)
6.	31.3.2012	38,49,332.00	तथैव – ज्ञापांक 60 दिनांक 19.3.2012 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग विपत्र सं॰ 119 /20011–12)
7.	31.3.2012	97652.00	सरकार के विशेष सचिव नं.वि॰ एवं आ॰ वि॰ बिहार पटना के ज्ञापांक 62 दिनांक 19.3.12 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग पेंशन विपत्र सं॰ 7/2011–12)
8.	31.3.12	20,00,000.00	सरकार के विशेष सचिव नगर वि॰ एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 61 दिनांक 19.3.2012 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग वेतन विपत्र सं॰ 8/2011–12)
9.	13.3.13	5,66,000.00	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 36/ 31.8.2012 से 13वीं वित्त आयोग General Performance Grant मद में आवंटन
10	13.3.2013	17,76,000.00	तथैव – पत्रांक 29/19.7.2012 General Basic Grant (13वी वित्त आयोग)
11.	20.3.2013	78979.00	तथैव – पत्रांक 36/31.12.2012 ई॰ गर्वनेंस।

12.	20.3.2013	1,60,18,400.00	तथैव – पत्रांक 82/11.2.2013 राज्य योजना।
13.	22.3.2013	38.82.306.00	तथैव – पत्रांक 88/ 4.3.2013 वेतन एवं पेन्शन (चतुर्थ राज्य वित्त)
14.	22.3.2013	16,63,849.00	तथैव – पत्रांक 88/ 4.3.2013 विद्युत वस्ती विकास कार्य (चतुर्थ राज्य वित्त)
15.	22.3.2013	25,83,369	तथैव – पत्रांक 88/ 4.3.2013 हाथ से मैला ढोना, नगरीय सड़कें, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, सड़कों के लिए सड़के (चतुर्थ राज्य वित्त)
16	22.3.2013	20,00,000.00	तथैव – पत्रांक 88/ 4.3.2013 असंबद्ध अनुदान (चतुर्थ राज्य वित्त)
17.	26.3.2013	10,88,000.00	तथैव – पत्रांक 01/4.4.2012 13 वी॰ वित्त (General Performance Grant)
18.	26.3.2013	2,40,000.00	तथैव – पत्रांक 41/19.92012 मानदेय भुगतान (नगर प्रबंध)
19.	29.3.13	13,58,217.00	सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 108/4.3.2013 राज्य योजना।
20.	29.3.2013	16,364.00	तथैव – पत्रांक 108/4.3.2013 राज्य योजना।
	कुल	47213988.00	

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के अनुसार विहित प्रपत्र में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप वर्ष के अन्त में अनुदानवार अव्यवहृत राशि प्रा0शेष एवं वर्ष में प्राप्त अनुदान से व्यय की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्य पालक पदाधिकारी का जबाव था कि "अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा।"

अतः विहित प्रपत्र में अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाय।

13. कम जमा/नहीं जमा

मकान कर व विविध कर प्राप्तियॉ का जमा नगर पंचायत कोष में जॉच करने के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत के कर संग्रहकताओं द्वारा मकान कर व विविध कर के रूप में संग्रहित रू॰ 92729 के विरूद्ध मात्र रू॰ 76360 जमा किया गया। शेष राशि रू॰ 16369 (92729.00 – 76360.00) नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था राशि जमा करी दी जायेगी।"

अतः रू॰ 16369/= सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली की जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में जमा दिखाया जाय।

(पूर्ण विवरण परिशिष्ट III पर दिया गया है)

14. अप्रस्तुत विविध रसीद बुक

विविध रसीद बुक एच के भण्डार पंजी के जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित विविध रसीद बुक जिसे संग्रहकर्ता श्री पवन कु0 यादव को निर्गत किया गया था लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था, विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.स.	विविध रसीद बुक सं.	निर्गत की तिथि	किसको निर्गत किया गया
1.	5819 से 5900	14.9.2011	श्री पवन कुमार यादव

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि "तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी"।

उक्त विविध रसीद बुक अगले अंकेक्षण में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कराया जाय।

15. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं रू॰ 0.63 लाख

सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की कुल वसूली गई राशि में से 10 प्रतिशत संग्रहण प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90 प्रतिशत राशि को राज्य सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा करना है। परन्तु वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 तक नगर पंचायत द्वारा संग्रहित शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर राशि का 10 प्रतिशत संग्रह प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90 प्रतिशत राशि को सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष		
1.	2011–12	शिक्षा शेष– स्वास्थ्य शेष–	16 लाख 16 लाख 0.32 लाख का 10 % = 0.032 0.32 लाख का 90% = 0.288
2.	2012–13	शिक्षा शेष– स्वास्थ्य शेष–	0.19 लाख 0.19 लाख 0.38 लाख का 10% =0.038 0.38 लाख का 90% =0.342 **कुल 0.63 लाख**

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि "स्वास्थ्य एवं शिक्षा शेष की राशि सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में प्रेषित कर दिया जायेगा।"

रू॰ 0.63 लाख सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में जमा दिखया जाय।

152

16. दूरदर्शन केन्द्र भवन का बकाया किराया रू० 1.28 लाख वसूलनीय एवं किराया का पुनरीक्षण नहीं

दूरदर्शन रिले केन्द्र, नगर भवन के परिसर में किराये के भवन पर दिनांक 01.11.2000 से कार्यरत्त है। प्रारम्भ में दूरदर्शन रिले केन्द्र को दिये गये भवन वसूली जमीन का किराया प्रतिमाह रू० 5000=00 निर्धारित किया गया था।

दिनांक 29.06.2007 को नगर पंचायत, बॉका के बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव सं. 04 द्वारा उपरोक्त भवन का किराया 10,000/– प्रतिमाह पारित किया गया तथा इसके अनुमोदन आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, बॉका को पत्रांक 273/18.07.2007 द्वारा प्रेषित किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बॉका द्वारा वाद सं० 02/07 दिनांक 18.8.2009 द्वारा दूरदर्शन रिले केन्द्र भवन का किराया 8000/– प्रतिमाह तय किया गया जिसे 1.4.2007 से लागू किया गया। परन्तु दिनांक 1.2.2012 से आज तक मई 2013 (16 माह) का किरायारू० 8000/– के दर से कुल रू० 128000/– (रू० 8000 X 16) रूपये किराया बकाया था। उक्त बकाया किराया की वसूली अतिशीघ्र की जाय तथा नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार उक्त किराये का पुनरीक्षण प्रत्येक पॉच वर्ष बाद किया जाना चाहिए था जो आज तक नहीं किया गया।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि किराये कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बकाया किराया की राशि रू. 1.28 लाख की वसूली यथाशीघ्र की जाय तथा नियमानुसार किराये का पुनरीक्षण करके बढ़े दर से मकान किराये की वसूली की जाय।

17. होल्डिंग टैक्स

नगर पंचायत द्वारा मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, साथ ही Form " K " तथा " L" लेजर का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण होल्डिंग टैक्स की वास्तविक मांग (बकाया मांग एवं चालु मांग) वास्तविक वसूली तथा अंतिम अवशेष (बकाया मांग एवं चालु मांग) की गणना नहीं की जा सकी।

वर्ष 2011–12	**लाख में**
मांग (बकाया + चालु)	12.66
वसूली (बकाया + चालु)	5.48
अंतशेष (31.3.2012)	7.18
प्रतिशत (वसूली)	43 %

151

वर्ष 2012–13	लाख में
मांग (बकाया + चालु)	11.43
वसूली (बकाया + चालु)	6.33
अंतशेष (31.3.2013)	5.10
प्रतिशत (वसूली)	55 %

वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 43% तथा 55% था। उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी ने जबाब दिया था कि " होल्डिंग टैक्स राशि की वसूली के दिशा में उचित कार्रवाई की जा रही है" उक्त बकाये राशि की वसूली यथाशीघ्र की जाय।

18. बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं

सैरातों की बन्दोबस्ती संचिका के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 2012–13 के दौरान बस पड़ाव बन्दोबस्ती की राशि रू. 1,20,250/– लेखापरीक्षा अवधि तक बन्दोबस्तीधारी के पास बकाया था। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	बन्दोबस्तीधारी का नाम	बन्दोबस्ती की अवधि	बन्दोबस्ती की राशि	जमा राशि की	विविध रसीद सं. /बकाया राशि
1.	श्री विनय कुमार	2012–13	481,000	240500 120250 कुल 360750	4966/30.3.2012 169/16.10.2012 ₹ 120250

बकाया राशि रू॰ 120250/–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जबाब दिया गया कि राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।"

अतः रू॰ 120,250/– श्री कुमार से यथाशीघ्र वसूली किया जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

19. भवन कर का पुनरीक्षण नहीं।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के अनुसार नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित आवासीय, वाणिज्य एवं सरकारी भवनों पर करारोपण करने की व्यवस्था है।

उक्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पॉच वर्ष पर करों की दरों में पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। नगर पंचायत के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1976 में कर निर्धारण

की प्रक्रिया अपनाई गयी थी। वर्ष 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 तथा 2011 तक में इनका पूनरीक्षण नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को राजस्व की हानि हुई। उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि "भवन कर का मुल्याकंण का पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अतः भवन कर का पुनरीक्षण यथाशीघ्र किया जाय ताकि नगर पंचायत को हानि से बचाया जा सके।

20. **सरकारी भवनों के मकान कर का बकाया/रू॰ 6.19 लाख**

नगर पंचायत बॉका के अन्तर्गत सरकारी भवनों के मकान कर की राशि रू. 6,19,816.50 दिनांक 31.3.2013 तक बकाया थी। कुछ ऐसे भवन है जिनके पास वर्ष 1976 से बकाया था।

(पूर्ण विवरण परशिष्ट IV पर दिया गया है)

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिया गया जबाब कि "वसूली के लिए नोटिस निर्गत किया गया है।"

रू. 6,19,816.50/– की वसूली किया जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में जमा दिखाया जाय।

21. **अपंजीकृत संचार (मोबाईल) टावरों पर कुल बकाया शुल्क रू. 7.68 लाख**

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार निगम/परिषद/पंचायत में पंजीकरण शुल्क य॰ 50,00/रू॰ 40,000/॰ 30,000/– प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू॰ 15,000/ रू॰ 10,000/ रू॰ 8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जायेगा।

नगर पंचायत, बॉका द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत 12 मोबाईल टावर अधिस्थापित थे। इनमें से 12 मोबाईल टावर उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर पंचायत से अपंजीकृत थे। उपर्युक्त नियम के अनुसार अपंजीकृत मोबाईल टावरों पर कुल (पंजीकरण शुल्क रू. 3,60,000.00 + निर्धारित नवीनीकरण शुल्क य॰ 4,08,000) कुल रू. 7,68,000.00 बकाया था।

(विस्तृत विवरणी प्ररिशिष्ट V पर दिया गया है)

149

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) अपंजीकृत टावरों पर रू॰ 7,68,000 रूपया बकाया था जिसकी वसूली नहीं की गयी थी।

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की वसूली के दिशा में कारवाई की जा रही है।

अधिष्ठापित 12 अपंजीकृत मोबाईल टावरों पर कुल बकाया रू॰ 7,68,000.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

अपंजीकृत 12 टावरों को पंजीकृत करने की कारवाई यथाशीघ्र की जाय एवं इस दिशा में किये गये प्रयासों से अगले अंकेक्षण दल को अवगत करायें।

22(i) विलोपित

22(ii) योजनाओं की राशि का विचलन रू॰ 47.02 लाख कर अनियमित व्यय

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत सहायक रोकड़ पंजी (योजना मद) खाता सं॰ यूको बैंक बचत खाता 1799010000948 के अवलोकन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

(i) रोकड़ बही में 20.10.2012 से 31.03.2013 तक कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था।

(ii) दिनांक 01.04.2011 को रोकड़ बही का प्रा.शेष रू॰ 47,23,509.59 रूपया था जिसमे योजना का पैसा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रू॰ 35,42,175.00 रूपया विधान पार्षद चापाकल का रू॰ 1,05,432.00 तथा माननीय विधायक (चापाकल) का रू॰ 5,33,249.00 रूपया सन्निहित था।

(iii) रोकड़ बही के अवलोकन के दौरान पाया गया कि उक्त योजनाओं की राशि को विचलन कर निम्नलिखित मदों में व्यय किया गया।

क्र.सं.	तिथि	चेक सं./तिथि	राशि (रू॰)	विवरणी
1	08.07.2011	68167/8.7.2011	17,348.00	रूनिया मेहतरानी को वेतन सितम्बर से मई 2011 तक
2.	29.9.11	68178/29.9.2011	2,03,519.00	विभिन्न कर्मचारियों का वेतन
3.	05.07.2012	68181/05.07.2012	7,500.00	स्व॰ जय॰मद॰में
4.	08.08.2012	68183/08.08.2012	62,655.00	अभिश्रव पंजी पी॰एल॰ खाता के पृ॰ 1 से 9 में अंकित खर्च
5.	04.09.2012	68184/04.09.2012	11,88,120.00	मेसर्स शुभम

				इंटरप्राइजेज सोलर लाईट के अधिष्ठापना हेतु
6.	17.09.2012	68185/17.09.2012	5,14,852.00	तथैव– 13 सो॰ ला॰
7.	28.09.2012	68186/28.9.2012	2,77,228.00	तथैव– 13 सो॰ ला॰
8.	06.10.2012	68187/3.10.12	1,92,192.00	विभिन्न कर्मचारियों का वेतन
9.	19.10.2012	68188/18.10.2012	2,74,639.00	तथैव
10	19.12.2012	88190/19.12.2012	86,350.00	दुर्गा पूजा के अवसर पर मजदूरी भुगतान
11.	30.12.2012	88191/30.12.2012	19,000.00	श्री अजय कुमार चक्रवर्ती को निबंधन कार्यालय का चाहर दिवारी निमार्ण
12.	12.01.2013	068193/12.01.2013	3,61,394.00	तथैव
13.	30.01.2013	068194/29.01.2013	1,17,081.00	तथैव
14.	13.02.13	068195/12.02.2013	2,13,151.00	विभिन्न कर्मचारियों का वेतन
15.	25.03.2013	अंकित नहीं	6,12,381.00	तथैव
16.	29.03.2013	068197/29.03.2013	5,54,611.00	बिजली विपत्र का बकाया शुल्क
		कुल	रू॰ 47,02,021.00	

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान कबीर अन्त्येष्टि की राशि भी प्राप्त हुई थी। उक्त सभी मदों से कुल रू॰ 47,02,021.00 रूपया का विचलन कर सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर व्यय किया गया।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि विचलित राशि को संबंधित शीर्ष में वापस कर दिया जायेगा। अतः उक्त विचलित राशि को यथाशीघ्र संबंधित शीर्ष में जमा किये जाने तक रू॰ 47,02,021.00 रूपये को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही शुभम इन्टरनेशलन को 50 सोलर लाईट के अधिष्ठापन पर व्यय की गई राशि का संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

23. विलोपित

24(i) विलोपित

24(ii) अनियमित भुगतान रू॰ 4,039.00

योजना सं॰ – 13/2012–13 (BRGF)

1147

योजना का नाम :–वार्ड सं॰ 13 में सालिक रोड से दक्षिण गली में पी0सी0सी0 सड़क का निमार्ण कार्य।

प्राक्कलित राशि :– रू॰ 1,47,500.00

संवेदक का नाम :– श्री राज कुमार चौधरी

कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :– 13.05.2012

मापी पुस्तिका की राशि :– रू॰ 1,47,494.00(17.01.2012)

संवेदक को भुगतान की राशि :– रू॰ 1,47,494.00

कार्य की भौतिक स्थिति :– पूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(क) उक्त कार्य के संचिका के नमुना जॉच के दौरान पाया गया कि बी॰ ओ॰ क्यू॰ के क्रम सं॰ 6.4 (A) पर P.C.C. (1: 2: 4) कार्य 20.39 M^3 कराना था किन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार उक्त मात्रा के जगह 21.31 M^3 कार्य कराया गया अतएव 0.92 M^3 (21.31 M^3-20.39 M^3) अधिक कार्य कराया गया जिसके लिए रू॰ 4390.38/M^3 के दर से रू. 4,039.00 (रू. 4390.38 x 0.92 M^3) का अनियमित भुगतान संवेदक को किया गया। जिसका कार्यस्थल पर विचलन (deviation of site) का विवरणी नहीं तैयार किया गया था।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी ने जबाव दिया कि तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी। अनियमित भुगतान की राशि रू. 4,039.00 रूपये का कार्यस्थल का विचलन का विवरणी अगले लेखापरीक्षा में दिखाये जाने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(ख) उक्त कार्य में फोटोग्राफी एवं बोर्ड लगाने हेतु संवेदक को रू. 1,780.00 रूपये का भुगतान किया गया था किन्तु फोटोग्राफी बोर्ड का अभिश्रव अथवा फोटो संचिका मे मोजूद नहीं था उक्त अभिलेखो को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने तक भुगतान किया गया राशि रू. 1.780. 00 रूपये को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

24(iii) विलोपित

24(iv) टू डी॰ एक्स॰ जे0सी0बी0 मशीन का क्रय अधिक भुगतान रू॰ 1,00,667.00

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत टूडी॰एक्स॰ जे0सी0बी0 मशीन क्रय के संचिका के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि उक्त मशीन के क्रय हेतू निविदा संख्या 03/2012–13 प्रकाशित किया गया। प्रकाशित निविदा के आलोक में पाटलीपुत्र इक्युपमेन्टस प्राइवेट लि॰ पटना, एस.के. इन्टरप्राईजेज बोरिंग रोड, पटना तथा इम्पेरियल एग्रो लिमिटेड, पटना द्वारा निविदा डाला गया। न्यूनतम दर के आलोक में पाटलिपुत्र इक्युपेमेन्टस को उक्त समाग्री के आपूर्ति हेतू कार्यालय पत्रांक सं. 708 दिनांक 16.10.2012 को आदेश निर्गत किया गया। उक्त फर्म से दिनांक 27.10.

2012 को उक्त सामग्री की आपूर्ति कर दी। जिसके विरूद्ध 19.02.2013 को रू॰ 15,10,000.00 रूपये की निकासी चेक सं. 609578 दिनांक 19.02.2013 को किया गया तथा बैंक ड्राफ्ट रू. 15,03,025 रूपये का बनवाकर (रू॰ 6,975 कमीशन) उक्त आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

(क) उक्त मशीन के क्रय हेतू प्रकाशित विज्ञापन के बारे में कोई भी अभिलेख संचिका में नहीं पाया गया।

(ख) एकरारनामा के शर्तों के अनुसार वैट, आयकर की कटौती नियमनुसार भुगतान के समय श्रोतों पर से की जानी थी, किन्तु वैट की कटौती नहीं किया गया।

अतएव वैट की राशि 5 प्रतिशत अर्थात रू॰ 71,905 रूपये (रू॰ 14,38,095 का 5 प्रतिशत) की कटौती कर के भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु पुरी राशि का भुगतान किया गया अतएव रू. 71.905.00 रूपये का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली उक्त अधिक भुगतान के जिम्मेदार व्यक्तियों से किया जाय।

(ग) एकरारनामा के शर्तों के अनुसार वैट, आयकर 2% की राशि की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु रू॰ 14,38,095 का 2% रू॰ 28,762 रूपये की कटौती किये बिना पूर्ण भुगतान आपूर्तिकर्त्ता को किया गया अतएव रू॰ 28,762.00 रूपये का अधिक भुगतान आपूर्तिकर्त्ता को किया गया। जिसकी वसूली उक्त अधिक भुगतान के जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

(घ) उक्त मशीन का नगर पंचायत बॉका के कार्यालय तक पहुँचने का कोई जिक्र नहीं था।

(ङ.) उक्त सामग्री का वारंटी पेपर, बैटरी का वारंटी पेपर इन्श्योरेंस पेपर, रजिस्ट्रेशन पेपर इत्यादि संचिका में नहीं पाया गया।

(च) उक्त सामग्री का रू. 15,10,000.00 रूपये का बिल समर्पित किया गया जिसके विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता को मात्र रू. 15,03,025.00 रूपये का भुगतान किया गया। यह किस प्रकार संभव हुआ? आपूर्तिकर्त्ता ने आज तक (मई 2013) कोई भी आवेदन कम पैसा प्राप्त होने का दिया या नहीं स्पष्ट नहीं किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि "तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी।" उक्त बिन्दुओं का स्पष्टीकरण अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

25(i) विद्युत विपत्र का अनियमित भुगतान रू॰ 48.43 लाख

लेखापरीक्षा में विद्युत विपत्र भुगतान संबंधित संचिका दिनांक 26.3.2012 से प्रस्तुत किया गया। जिसके अवलोकन के दौरान पायाँ गया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बकाये विपत्र कन्जूमर आई.डी. सं. 4940/Govt/S.S/ 45 से पूर्व से जनवरी 2012 तक का रू. 1,89,18,464.00 रूपये का विपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त विपत्र के विरूद्ध मैचिंग ग्राण्ट से प्राप्त राशि रू॰ 48,42,813.

1145

00 रूपये चेक सं० BD 110134 दिनांक 26.03.2012 के द्वारा बिहार विद्युत निगम को भुगतान कर दिया गया।

अंकेक्षण की टिप्पणियॉं:–

(i) दिनांक 26.03.2012 से पूर्व की संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) उक्त विपत्र में मासिक बिजली खपत 2860 यूनिट प्रति महिने दिखाया गया था जो कि औसत खपत के आधार पर नियत किया गया था।

(iii) नगर पंचायत बॉका ने किस आधार पर उक्त 2860 यूनिट बिजली खपत प्रति माह पूर्व के किस वर्ष के किस माह से माना लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) बिहार राज्य विधुत निगम के समर्पित विपत्रों की जॉच किस प्रकार की गयी तथा पूर्व के विपत्रों को भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) उक्त बिजली बिल का भुगतान किसके आदेश से किया गया तथा नगर पंचायत, बॉका द्वारा उक्त विपत्रों की सत्यता की जॉच किस प्रकार की गयी।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब दिया कि "तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी।" उक्त बिन्दुओं का स्पष्टीकरण अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

25(ii) अनियमित व्यय रू० 4.99 लाख

योजना संख्या अंकित नहीं

योजना का मदः– अन्य

योजना का नाम :– निबंधन कार्यालय बॉका के चाहरदिवारी का निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि :– रू० 4,99,222.00
तकनीकी स्वीकृति की तिथि :– 29.12.2012
प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि :– प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी ।
कार्य की प्रकृति :– विभागीय
अभिकर्त्ता का नामः– श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, टैक्स दरोगा
मापी पुस्तिका की राशि :– रू० 4.99.220.00

अग्रिम की राशि / कुल भुगतान की राशि :– 4,97,475.00

वैट कटौती की राशि :– शुन्य

रॉयल्टी कटौती की राशि :– रू० 1,745.00

योजना की भौतिक स्थिति :– पूर्ण।

अंकेक्षण की टिप्पणिः–

उक्त कार्य के योजना संचिका के नमुना जॉच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत बॉका द्वारा दूसरे कार्यालय, "निबंधन कार्यालय के चाहरदिवारी का निमार्ण" कराया गया। उक्त कार्य कराने हेतु सरकार से कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था और न ही निबंधन कार्यालय,

नगर पंचायत, बॉका के जमीन पर ही अवस्थित है। निबंधन कार्यालय के चाहरदिवारी का निमार्ण कार्य की स्वीकृति बोर्ड के बैठक में भी नहीं ली गयी थी।

उक्त कार्य व्यय हेतु रू० 4.99 लाख नगर पंचायत के निजी स्त्रोत में भी नहीं था। संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि दूसरे मदों से विचलन कर उक्त कार्य का क्रियान्वयन किया गया।

नगर पंचायत, बॉका को विकास के कार्यों में साफ–सफाई तथा सरकार के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त राशि को व्यय करना है। किन्तु नगर पंचायत, बॉका ने नियमों की घोर अवहेलना करते हुए निबंधन कार्यालय के चाहरदिवारी का निर्माण कराया।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश से व्यय क्रिया गया।" उक्त जबाव मान्य नहीं है यदि यह खर्च किया गया था तो संबंधित पदाधिकारी से खर्च के वापसी हेतु पत्राचार क्यों नहीं लिया गया। उक्त अनियमित व्यय की वसूली उक्त अनियमित व्यय के जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय तथा पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

26. दैनिक मजदूर पर व्यय / रू० 948034/–

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में दैनिक मजदूरी पर कुल रू० 948034/– व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट vii पर)

बिहार सरकार के पत्र संख्या 04 से 1–103/87–1231 न०वि०वि० दिनांक 06.05.1992 एवम् समय– समय निर्गत विभिन्न पत्रों द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि दैनिक मजदूरी पर व्यय नहीं करना है। इसके बावजूद रू. 948034/– दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया, जो कि अनियमित है।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि नगर पंचायत के सफाई हेतु दैनिक मजदूरों की मजदूरी पर व्यय किया गया है।

सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए दैनिक मजदूरों पर रू० 948034/– व्यय किया गया जिसका अनुमति सरकार से प्राप्त किये जाने तक व्यय की गयी राशि रू० 9,48,034.00 रूपये को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

27. श्रम उपकर की कटौती नहीं / रू० 66,345/–

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक "भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं० 4/एफ 1–302/2006 श्र०नि० 865 दिनांक 18.8.08 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम

उपकर विपत्रों से कटौती कर "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित करने का प्रावधान है।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान 58 योजनाओं पर रू॰ 66,34,452/– व्यय किया, परन्तु विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	योजना का मद	वर्ष	योजनाओं की सं.	कुल व्यय की राशि	%श्रम उपकर की राशि
1	बी॰ आर॰ जी॰ एफ॰	2011–12 तथा 2012–13	39	5283096	52830.96
2	चतुर्थ राज्यवित उपायोग तथा 13वी वित्त आयोग।	2011–12 तथा 2012–13	05	426582	4265.82
3	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	2011–12 तथा 2012–13	14	924774	9247.74
		कुल	**58**	**6634452**	**66344.52**

उक्त के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाव था कि तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी। इस प्रकार का कोई पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार के निर्देशों का पालन यथाशीघ्र किया जाय।

28. अग्रिम वसूली/समायोजन हेतु लम्बित

अग्रिम पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 1.4.11 को अग्रिम का पूर्वाशेष की राशि रू॰ 7,49,238/– था। उसके पश्चात वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान कितनी राशि अग्रिम के रूप में दी गयी उसका समायोजन क्या है तथा 31.03.2013 को कर्मचारियों/व्यक्तियों के पास कितना अग्रिम बकाया है उसकी जानकरी नहीं हो सकी।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जबाब था कि " अग्रिम पंजी को संधारण कर एवं लंबित अग्रिमों का समायोजन कर अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा।

अग्रिम पंजी 2011–12 से 2012–13 तक संधारित कर तथा बकाया राशि का समायोजन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(पूर्ण विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट VIII पर दिया गया है।)

29. लेखापरीक्षा का परिणाम

(i) अंकेक्षण के दौरान जमा राशि :– रू॰ शून्य

(ii) अंकेक्षण में वसूली हेतु सुझायी गयी राशि :– 1632506

(iii) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन राशि :– 4707840

(पूर्ण विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट IX पर संलग्न)